नागरिक शास्त्र

E129LI

पाठ-1

हमारा संविधान(Our Constitution)

क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था ? आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा ? यहाँ का शासन उस तरह चलता था, जिस तरह इंग्लैण्ड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है। किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं ? उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके।

कैसे बना हमारा संविधान

जवाहर लाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रान्त के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम, कानून बनाने में हर प्रान्त के पुरुषों एवं महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन् 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रान्त से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे, वे थे सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामथ। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति ;त्तंजि ब्वउउपजजममद्ध भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

डॉ0 भीमरॉव अम्बेडकर ने लन्दन में गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनैतिक भागीदारी आवश्यक है इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की माँग की जिसके फलस्वरूप विधान मण्डलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए।

आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है।' इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊँचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर-

संवैधानिक, यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है, तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

हमारा संविधान

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

आइए जानें हमारे संविधान में है क्या ?

सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं- अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो निम्नवत् हैं-

प्रभुत्वसम्पन्न राज्य

भारत की सरकार आन्तरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्र है इसलिए भारत को प्रभुत्वसम्पन्न राज्य कहा गया है।

लोकतन्त्रात्मक गणराज्य

भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए इसे लोकतन्त्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है।

पंथ निरपेक्ष

राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है वरन् सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है।

लोकतंत्रात्मक गणराज्य

भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है।

मानव अधिकार

मानव अधिकार जन्म से ही प्रारम्भ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से सम्बन्ध रखता हो। 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

हमारे मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

अपने गाँव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे-बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश-प्रदेश में कहीं भी आते-जाते रहते हैं। इन सबके लिए कोई रोका-टोकी नहीं होती। सोचिए, ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से छः अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं जो निम्नवत् हैं -

1. समानता का अधिकार

संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, सार्वजनिक जगहों जैसे-दुकानों, होटलों या सिनेमाघरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है । छुआ-छूत (अस्पृश्यता) को अपराध्ा घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार

(क) भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

(ख) भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

(ग) देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी है।

(घ) भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

(ङ) भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है।

(च) भारत का कोई भी नागरिक हो, अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है।

दोषसिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता- किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

जीवन जीने की एवं निजी स्वतन्त्रता- भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है। कोई भी उनकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। कोई व्यक्ति जब कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे जेल की सजा नहीं

दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर मजिस्टे[a]ट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार -

वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है।

इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. 2009) पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़ कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही बेगार लेने पर रोक है। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं करायी जा सकती है। बँधुआ मजदूरी की प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है।

नन्हा रामू

राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज काटने वाली मशीनें भी थीं। उसने प्रेस में एक 14 साल के बच्चे रामू को 'हेल्पर' की नौकरी पर रखा था। एक दिन रामकुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियाँ कट गयीं। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुँचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक रामकुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी (लेबर इनफोर्समेन्ट ऑफिसर) से कर दी। जहाँ उसे बाल मजदूरी (प्रतिबन्ध एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1986 के तहत बालश्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई।

क्या तुम जानते हो ?

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है।
- कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को तीन महीने से एक साल तक की कैद हो सकती है। उसे 10,000/- से लेकर 20,000/- रु0 तक का जुर्माना भी हो सकता है।
- बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना, श्रम प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी की जा सकती है।

- सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः माता-पिता का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें।

4. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार

भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतन्त्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति-रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतन्त्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनन्द के साथ मनाते हैं।

5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार

भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएँ खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

6.सांविधानिक उपचारों का अधिकार

कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है।

लोकहित का मुकदमा-

जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है।

संविधान में जहाँ नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। देश में वाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रहित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं।

राज्य की नीति निदेशक तत्व

संविधान में सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निदेशक तत्वों का पालन करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा किन्तु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निदेशक तत्व निम्नवत् दिए गए हैं -

सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले। काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले। आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो।

बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले।

नीतियाँ ऐसी हों जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेद-भाव न किया जाए।

ऐसी नीतियाँ न बनाई जाएँ जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें।

सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए।

किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो।
निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके।
पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना।
राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे।
अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना।

हमारे मौलिक कर्तव्य

अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है परन्तु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -
संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे।
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएँ और उनका पालन करे।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका सम्मान करे।
प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य-जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया-भाव रखे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू

ले।

हर माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।

मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए है हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए -

(क) संविधान सभा के अध्यक्ष थे -

(अ) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (ब) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर

(स) सरोजनी नायडू (द) एच0बी0 कामथ

(ख) मौलिक अधिकारों की संख्या है -

(अ) 10 (ब) 8

(स) 6 (द) 5

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) संविधान सभा के बारे में लिखिए।

(ख) संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है ?

(ग) भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है ? स्पष्ट कीजिए।

(घ) नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं ?

(ङ) समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए।

(च) नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी हैं ?

(छ) मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कोई एक अन्तर बताइए।

(ज) संविधान में प्रदत्त 'स्वतंत्रता के अधिकार' के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं ?

(झ) संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए।

(´) हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है ?

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ..... थे।

(ख) संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को ..... मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।

(ग) मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक..... की शरण में जा सकता है।

4. अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं। उदाहरण देकर समझाइए।

प्रोजेक्ट वर्क

अपने पास-पड़ोस में जाकर पता कीजिए कि 14 साल से कम आयु के कितने बच्चे मजदूरी करते हैं। यह भी पता कीजिए कि वे किस प्रकार के काम करते हैं और उनमें से कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस अनुभव को विद्यालय में साझा करें।